# राजस्थान सरकार
## निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं

क्रमांक एफ.1875 सीसी/स्वा.का.पु./2019/832 दिनांक ..7/19

## आदेश

राज्य सरकार के चयनित वेतन श्रृंखला आदेश क्रमांक एफ.20(1)वित्त/ग्रुप–2/92 दिनांक 25.1.92, क्रमांक एफ.16(2)वित्त/नियम/98 दिनांक 17.2.98 एवं क्रमांक:एफ. 20(1)वित्त/ग्रुप–2/92 पार्ट– दिनांक 21.12.93 के निर्देशन मे निम्न वर्णित स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष) उनके पदोन्नति पदो की वेतन श्रृंखलाएं कर्मचारियों के प्रशासनिक अधिकारियों से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार भिन्न–भिन्न आदेशो से चयनित वेतन श्रृंखलाओं के रूप में स्वीकृत की गई थी। कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट दायर कर स्वयं का पद एकल पद मानते हुए राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.20(1)वित्त/ग्रुप–2/92 दिनांक 25.1.92 के पैरा 5 में वर्णित अनुसार चयनित वेतन श्रृंखला चयनित वेतनमान के रूप में स्वीकृत करने हेतु निवेदन करने पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर चयनित वेतन श्रृंखला आदेश के पैरा 5 के अनुसार दिये जाने के निर्देश जारी किये है।

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम के अनुसार स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष) पद साधारण वेतन श्रृंखला का सीधी भर्ती का पद है, विभागीय प्रशिक्षण एवं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एमपीडब्ल्यू (मेल) पद पर नियुक्ति दे दिये जाने के कारण इन कर्मचारियो ने वित्त विभाग के आदेश दिनांक 25.1.92 के पैरा 5 एवं 17.02.98 के अनुरूप 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर क्रमशः 1200–2050/4000–6000, 1400–2600/5000–8000 एवं 1640–2900/ 5500–9000 की मांग की गई।

माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय दिनांक 07.11.16 के विरूद्ध आगे अपील दायर नही करने का निर्णय लिया जाकर आदेश की पालना करने के लिए निदेशालय द्वारा निम्न प्रकरण में राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजे गये।

| क्र.सं. | याचिकाकर्ता | रिट सं. | निर्णय दि. | अवमानना सं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री तगाराम | 12890/16 | 07.11.16 | 263/19 |

राज्य सरकार/वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101902981 दिनांक 02.07.19 एवं प्रशासनिक विभाग की आई.डी. संख्या 1144 दिनांक 03.07.19 से प्राप्त स्वीकृति के अनुसरण मे माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय की पालना के निर्देश प्राप्त होने के फलस्वरूप उपरोक्त रिट में वर्णित स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष) जिन्हे नियुक्ति अधिकारी द्वारा एमपीडब्ल्यू (मेल) पद पर नियुक्तियां प्रदान की गई थी, को पूर्व में स्वीकृत चयनित वेतन श्रृंखलाओं को अतिक्रमित करते हुए न्यायालय के निर्णयानुसार वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसरण मे याचिकाकर्ता

PTO ,....

को उनकी नियमित नियुक्ति दिनांक से अवधि की गणना करते हुए 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर क्रमश. 1200–2050/4000–6000, 1400–2600/5000–8000 एवं 1640–2900/5500–9000 स्वीकृत की जाती है। याचिकाकर्ता को दिनांक 1.1.2006 के पश्चात नियमानुसार देय एसीपी एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

याचिकाकर्ता को चयनित वेतनमान की स्वीकृति में जोन/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में पदस्थापित राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के वरिष्ठतम कार्मिक यह सुनिश्चित करले कि याचिकाकर्ता को चयनित वेतनमान स्वीकृति में अवधि की गणना नियमित नियुक्ति दिनांक से चयनित वेतनमान नियमों/प्रावधानो के अनुसार एवं वेतन स्थिरिकरण तथा राशि की गणना भी सही की गई है। यदि कार्मिक उच्च वेतनमान में समायोजित किया गया है तो अवधि की गणना कार्मिक के समायोजित होने की दिनांक से चयनित वेतनमान नियमों के अनुसार की जावे तथा यह भी सुनिश्चित करले कि संबंधित कार्मिक को चयनित वेतनमान का पूर्व में भुगतान नही किया गया है। नियम विरूद्व अधिक भुगतान के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगे।

( मुकुल शर्मा )
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

क्रमाक:एफ 1875 सीसी/स्वा.का.पु/2019/832 दिनांक : 12/7/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव वित्त (नियम) विभाग राज. जयपुर को उनकी आई.डी. संख्या 101902981 दिनांक 02.07.19 के क्रम मे।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग राज जयपुर को उनकी आई.डी संख्या 1144 दिनांक 03.07.19 के क्रम मे।
4. वित्तीय सलाहकार मुख्यालय को वित्त विभाग के आदेश अनुसार प्रकरण में चयनित वेतनमान स्वीकृति में अवधि, वेतन स्थिरीकरण व राशि की गणना वित्त विभाग के नियमों/प्रावधानों के अनुसार की गई है सुनिश्चित करें।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन जयपुर।
6. मुख्य चिकित्सा एव स्वा. अधिकारी बाडमेर को लेख कर निर्देश है कि आपके अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारी के प्रकरण मे शीघ्र कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट मय ड्यू–ड्रान एवं संशोधित एलपीसी की प्रति कार्मिक एव अधिकारी केस एव निदेशालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
7. सबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
8. संबंधित याचिकर्ता को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. प्रभारी सर्वर रूम, कमरा नं. 302, मुख्यालय, को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
10. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं